न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 14 / 2022.(GCMS : 2022/306)

मायादेवी पत्नी बलदेव राम जाति माली आयु 86 वर्ष निवासी 1 ए ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर,

बनाम

1. **ओम प्रकाश पुत्र बलदेव राम** जाति माली निवासी 1 ए ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **कुन्दन लाल पुत्र बलदेव राम** जाति माली निवासी 1 ए ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. **रघुवीर सिंह पुत्र बलदेव राम** जाति माली निवासी 1 ए ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. **चरणजीत सिंह पुत्र बलदेव राम** जाति माली निवासी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया माया देवी एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 कुन्दन लाल एवं रेस्पोडेंट संख्या 04 चरणजीत सिंह उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट सख्या 01 एवं 03 उपस्थित नहीं हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि

अपीलार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 5 व धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया था कि अपीलांट के पति बलदेव राम पुत्र भगत राम के नाम चक 1ए ''ए'' तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 251 / 468 किला नम्बर 1 ... में 6.325 हैक्टेयर एवं चक 63 जीबी तहसील अनूपगढ के मुरब्बा नम्बर 29 ... नम्बर 257 / 457 में 6.200 हैक्टेयर यानी कुल 50 बीघा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वर्तमान में चक 1ए''ए'' तहसील अनूगपढ में खाता संख्या 06 मुरब्बा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

30 पत्थर नम्बर 251/468 किला नम्बर 1 ता 25 व चक 63 जीबी मुरब्बा नम्बर 29 पत्थर नम्बर 252/457 में किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24 में 2.480 हैक्टेयर की खातेदारी सनद की गयी है। बलेदव राम की मृत्यु होने पर उसके 8 वारिस थे जिसमें अपीलांट स्वयं, अपीलांट की तीन लडकीया एवं चार लडके हैं इस प्रकार अपीलांट का 1/8 हिस्सा बनता है है तथा अपीलांट की दो पुत्रियों की शादी हो चुकी थी एवं पुत्र नाबालिग थी। अपीलांट अपनी नाबालिग पुत्री के साथ रहती थी तथा रेस्पोडेंट भी साथ रहते थे। अपीलांट के वृद्ध होने के कारण उसे चलने में परेशानी होती थी। अपीलांट के पुत्रों ने अपीलांट को कहा कि भूमि का विभाजन करना है इसलिए अनूपगढ चलकर खाता विभाजन के कागजात तैयार करवा ले। इस प्रकार अपीलांट व अपीलांट के पुत्री भी अपीलांट के साथ गयी तथा रेस्पोडेंट ने धोखे से दिनांक 26.09.1998 को दस्तबदारी करवा ली, जिसकी जानकारी अपीलांट को बिल्कुल नहीं हैं। दस्तबदारी की जानकारी अप्रैल 2022 को हुई जब रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की बीमारी का खर्चा देना व ईलाज करवाने से मना कर दिया। अपीलांट ने पंचायत की तो पता चला कि रेस्पोडेंट ने धोखे से षडयंत्र पूर्वक उसके हिस्से की भूमि की दस्तबदारी करवा ली। हालांकि 2013 में घरू बंटवार करके 5 बीघा रकबा अपीलांट को दिया हुआ था, अगर कोई दस्तबरारी होती तो 2013 को जमीन का विभाजन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योकि रेस्पोडेंट द्वारा धोखे से दस्तबदारी करवाई हुई थी। जब रेस्पोडेंट ने अपीलांट को ठेका देना व ईलाज करवाना बन्द किया तो अपीलांट को दस्तबदा[illegible]क्त दस्तबदारी धोखे से करवाई गई है इसलि[illegible]षित करने एवं अपीलांब्ट को 20,000/- प्रतिमाह [illegible]लाये जाने की प्रार्थना के साथ अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थिया मायादेवी ने अपनी बहस में कथन किया कि वह एक वृद्ध महिला तथा उसके पति का भी स्वर्गवास हो चुका है। उसके पास कमाई कोई साधन नही है और वह बीमार रहती है। उसका लम्बे समय से ईलाज चल रहा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी उक्त बातों पर गैर किये बिना ही आदेश पारित किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

उसका आगे यह भी कथन है कि उसके पति के नाम चक 1ए''ए' तहसील अनूपगढ के मुरब्ब नम्बर 30, पत्थर नम्बर 251/468 किला नं. 25 में 25 बीघा व चक 63 जीबी मुरब्ब नम्बर 29 पत्थर नम्बर 252/457 किला नम्बर 1 ता 25 कुल 50 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी थी, यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस गौर न करके कानूनी भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य हैं

उसका आगे यह भी कथन है कि उसके पति बलदेव राम की मृत्यु के बाद उक्त जमीन पर उसके चार पुत्र, तीन पुत्रियां एवं वह स्वयं उत्तराधिकारी है, जिसमें उसका 1/8 हिस्सा बनता है, जिसका कब्जा उसके पास चला आ रहा है। रेस्पोडेंट ने उससे धोखे से दस्तबदारी करवा ली, जिसकी जानकारी उसे अप्रैल 2022 में हुई तथा इसी जमीन के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट द्वारा एक बंटवारानामा 2013 को अपीलांट व रेस्पोडेंट के बीच में किया गया, जिसमें अपीलांट की जो अपने हिस्से की भूमि थी उसमें 5 बीघा उसको 2013 में ही दे रखी थी। अगर कोई दस्तबदारी होती तो 2013 में जब बंटवारा हुआ था उस समय दस्तबदारी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि जो दस्तबदारी बनायी गयी है वह फर्जी व धोखे से बनाये गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उसका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट बीमार रहती है, जिसके ईलाज के लिए अपीलांट के पास कोई राशि या रकम नही है। जिस कारण उसका ईलाज नहीं हो पा रहा है जबकि अपीलांट के नाम भूमि है तथा रेस्पोडेंट ना तो भूमि छोड़ रहे है और ना ही राशि अदा कर रहे है तथा रेस्पोडेंट उसे मारने की धमकी दे रहे है।

उसका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट ने उसके साथ धोखे से दस्तबदारी पर हस्ताक्षर करवाये है, जिसे शून्य घोषित न करके तथा उसे रेस्पोडेंट से 20,000/— रूपये प्रति भरण पोषण न दिलाकर अधनीस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर उसे 20,000/— रूपये भरण पोषण राशि दिलवाने एवं उक्त दस्तबरदारी निरस्त करने की प्रार्थना की है।

इसके विवरीत रेस्पोडेंट संख्या 2 व 4 ने कथन किया कि उसकी माता माया देवी वृद्ध है परन्तु उनकी उम्र 85 वर्ष से कम है और वह किसी प्रकार से बीमार नहीं है बल्कि शारिरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ है तथा अपने दैनिक कार्य स्वयं करती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके पिता स्व. बलदेवराम के नाम राजस्व उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्थ थी तथा वर्तमान में हम अप्रार्थीगण व के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज होने के कथन को स्वीकार किया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनकी माता ने अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से की 1/8 हिस्सा की भूमि का हक त्याग कर अप्रार्थीगण के पक्ष करके दस्तावेज दस्तबदारी दिनांक 26.09.1998 को समस्त भाईयों के पक्ष लिखवाकर दान पत्र सुन समझकर व सही होना मानकर, अपने अगूंठा निशानी अंकित कर [illegible] स्वयं ही उप पंजीयक, अनूपगढ के समक्ष [illegible] 1998 को पंजीबद्ध करवाया और उसी [illegible] में वर्णित भूमि का कब्जा मौका पर सौप दिया था, जिस पर वे सभी [illegible]ई संयुक्त रूप से काबिज है तथा काश्त कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थिया द्वारा अपनी स्वेच्छा से दस्तबदारी दिनांक 26.09.1998 का निष्पादन एवं पंजीयन करवाया गया था उनके द्वारा किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया गया और ना ही प्रार्थिया ने कोई पंचायत की और ना ही प्रार्थिया को पंचायत में किसी तरह से कथित बीस हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में अदा करने को कहा।

उनका आगे यह भी कथन है कि वे, अपनी माता की समुचित देखभाल और भरण पोषण पूरी जिम्मेदारी से कर रहे है और करने के लिए सदैव तैयार है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में गलत, मिथ्या एवं मनगढंत और परेशान करने की नियत से झूठे आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थिया किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं हैं इसलिए उसका प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थिया ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 05 एवं 23 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के समक्ष पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार दिनांक 01.01.2022 को निम्न निर्णय पारित किया है:

> अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया के जीवन यापन हेतु प्रतिमाह 6000/— रूपये (छः हजार रूपये मात्र) (अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 1500/— 1500/—रूपये प्रत्येक)प्रार्थीया के खाता संख्या 33010410885 बैंक — भारतीय स्टेट बैंक,शाखा रेलवे स्टेशन, अनूपगढ में जमा करवाये एवं जमा पर्ची प्रतिमाह न्यायालय में पेश किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त राशि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत माह जून, 2022 से [illegible] दारी के संबध में अनुतोष सक्षम न्यायालय में [illegible] र कर प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।
>
> -sd-
> (प्रियंका तलानिया)
> उपखण्ड अधिकारी
> भरण पोषण अधिकरण, अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2022 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी. ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.11.2022 को अपास्त कर **अपीलार्थिया ने याचिका में वर्णित प्रकार से 20,000/— रूपये भरण पोषण की राशि तथा उसके द्वारा अपने पति के नाम चक 1 ए"ए" तहसील अनूपगढ मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 251/468 किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व चक 63 जीबी मुरब्बा नम्बर 29 पत्थर नम्बर 252/457 किला नम्बर–1 ता 25 कुल 50 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी थी, का 1/8 हिस्सा की दस्तबदारी को शून्य घोषित करने` की प्रार्थना के साथ यह अपील अपने पुत्रों के विरूद्ध पेश की है।**

जहां तक चक 1 ए"ए" तहसील अनूपगढ मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 251/468 किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व चक 63 जीबी मुरब्बा नम्बर 29 पत्थर नम्बर 252/457 किला नम्बर–1 ता 25 कुल 50 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी थी, का 1/8 हिस्सा की दस्तबदारी को शून्य घोषित करने की प्रार्थना की है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों **के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति का अन्तरण भरण पोषण की शर्त के अधीन किया जाता है** तो भरण पोषण न करने की सूरत में ऐसा अन्तरण शून्य हो सकता है। जिसके सम्बन्ध में **माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

23. कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा : (1) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहाँ सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

जहां तक अपीलार्थिया की चक 1 ए''ए'' तहसील अनूपगढ मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 251/468 किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व चक 63 जीबी मुरब्बा नम्बर 29 पत्थर नम्बर 252/457 किला नम्बर–1 ता 25 कुल 50 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी थी, का 1/8 हिस्सा की दस्तबदारी को शून्य घोषित करने का प्रश्न है, वह **माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिए अपीलार्थिया को उक्त** चक 1 ए''ए'' तहसील अनूपगढ मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 251/468 किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व चक 63 जीबी मुरब्बा नम्बर 29 पत्थर नम्बर 252/457 किला नम्बर–1 ता 25 कुल 50 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी थी, का 1/8 हिस्सा की **दस्तबदारी को शून्य घोषित करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलार्थिया उक्त विवादित सम्पत्ति हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने को स्वतत्र है।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्री से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 में निम्न प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में संदेय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क कि उसे 20,000/— रूपये प्रति माह भरण पोषण दिलाया जावे। इस संबंध में अधिनियम की धारा 9 अवलोकनीय है जों निम्न प्रकार से है:—

> 9. **भरण पोषण हेतु आदेश**:— (1) यदि सन्तान या संबंधी, जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण—पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों का या संबंधियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय समय से निर्देश दें।
>
> (2) अधिकतम भरण पोषण भता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, प्रतिमास दस हजार से अधिक नही होगा।

उक्त धारा 9(1) के तहत माता पिता अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और संतान भरण पोषण करने से अपेक्षा करती है तो माता पिता अपनी समस्त संतानो से 10,000/—रूपये प्रति माह भरण पोषण पाने के हकदार है और अधिकरण जैसा उचित समझे भरण पोषण निर्धारण कर सकता है। धारा 9(2) के अनुसार अधिकतम भत्ता 10000/— रूपये प्रति माह से अधिक देय नही होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया को अपनी समस्त संताने से भरण पोषण की मांग की जानी चाहिए थी, लेकिन अपीलार्थिया ने केवल अपने चारों पुत्रों ओम प्रकाश, कुन्दन लाल, रघुवीर सिंह एवं चरणजीत सिंह से ही भरण पोषण की मांग की है। लेकिन यह तथ्य भी स्पष्ट' है कि अपीलार्थिया वृद्ध, बीमार तथा अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। अपीलार्थी का भरण पोषण करना समस्त रेस्पोडेंट्स का नैतिक और कानूनी उत्तरदायित्व भी है। **इसलिए समस्त रेस्पोडेंट्स को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक, अपीलार्थी के जीवनयापन हेतु 2500/— 2500/— रूपये (दो हजार पांच सौ रूपये) प्रतिमाह प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवायें तथा** रेस्पोडेंट को **माह दिसम्बर 2022 अपीलार्थी के खाते में राशि जमा करवाने के आदेश दिये जाने उचित प्रतीत होते है** तथा अपीलार्थिया, अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हुई तो **उसकी बीमारी की अवस्था को देखते हुए समस्त रेस्पोडेंट्स को आदेशित किया जाता है कि वे अपनी माता माया देवी हेतु एक केयर टेकर/नर्स की एक माह में व्यवस्था करें एवं यदि एक माह में रेस्पोडेंट्स केयर टेकर/नर्स की व्यवस्था नहीं करते तो उसकी एवज् में वे अपीलार्थिया को प्रतिमाह राशि का भुगतान करेगें, जो उक्त भरण पोषण की राशि से अतिरिक्त होगी।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील निस्तारित की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ का आदेश दिनांक 01.11.2022 को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है। जहां तक चक 1 ए''ए'' तहसील अनूपगढ मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 251/468 किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व चक [illegible] मुरब्बा नम्बर 29 पत्थर नम्बर 252/457 किला नम्बर [illegible] भूमि की दस्तबदारी को शून्य घोषित करने का प्रश्न है वह माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जाती हैं इसलिए अपीलार्थिया को उक्त सम्पत्ति की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलार्थिया उक्त विवादित दुकान हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है तथा समस्त रेस्पोडेंट ओम प्रकाश, कुन्दन लाल, रघुवीर सिंह एवं चरणजीत सिंह को आदेशित किया जाता है कि वे प्रत्येक, अपीलार्थिया के बैंक खाते में माह दिसम्बर 2022 से प्रति माह राशि 2500/—(दो हजार पांच सौ रूपये) अपीलार्थियां के बैंक खाते में जमा करवायेगें तथा वे अपनी माता माया देवी की देखभाल हेतु एक केयर टेकर/नर्स की एक माह में व्यवस्था करें एवं यदि एक माह में रेस्पोडेंट्स केयर टेकर/नर्स की व्यवस्था नहीं करते तो उसकी एवज् में वे अपीलार्थिया को प्रतिमाह राशि 10,000/— का भुगतान करेगें, जो उक्त भरण पोषण की राशि से अतिरिक्त होगी। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति पालनार्थ लौटाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:28 IST
Reason: SelfAttested